BSES YAMUNA

बीएसईएस स्टिंग ऑपरेशन में ठगों का गिरोह पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज

- बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट अधिकारी बन कर उपभोक्ता से 1 लाख रूपये ठगने की कोशिश
- ठगों ने उपभोक्ता से कहा, उसका मीटर 80 प्रतिशत स्लो है
- बाद में 20 हजार रूपये में मामला रफा- दफा करने का दिया ऑफर
- उपभोक्ता को शक हुआ और उसने बीएसईएस विजिलेंस टीम से संपर्क किया
- फिर उपभोक्ता की मदद से बीएएसईएस ने किया स्टिंग ऑपरेशन

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2007। बीएसईएस ने एक उपभोक्ता की मदद से स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देकर, मासूम उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार बनाने वाले ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामला लक्ष्मी नगर के मंगल बाजार इलाके का है, जहां ठग खुद को बीवाईपीएल के एन्फोर्समेंट अधिकारी बताकर, उपभोक्ता से 1 लाख रूपये ठगने की कोशिश कर रहे थे। ठगों ने उपभोक्ता के मीटर की जांच की, और बताया कि उसका मीटर 80 प्रतिशत स्लो है और इसके लिए उस पर 1 लाख रूपये का जुर्माना किया जाएगा। 6 सदस्यों वाला यह गिरोह पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सकिय था। स्टिंग ऑपरेशन में गिरोह के दो सदस्य पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ शकरपुर पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

दरअसल, उपभोक्ता को उस समय इन ठगों पर कुछ शक हुआ, जब उन्होंने कहा कि उपभोक्ता 20 हजार रूपये देकर मामले को रफा- दफा करवा सकता है। शक होने के बावजूद उपभोक्ता ने इन कथित एन्फोर्समेंट अधिकारियों को 20 हजार रूपये देने का मन बना लिया था, लेकिन पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने कुछ समय मांगा। संयोगवश, इसी बीच उपभोक्ता ने बीएसईएस के विजिलेंस डिपार्टमेंट को इस मामले के बारे में बता दिया। (उपभोक्ता के अनपुरोध पर हम यहां उनका नाम नही दे रहे हैं।)

फिर, उपभोक्ता की मदद से विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ठगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। लेकिन ठग उपभोक्ता के घर से 20 हजार रूपये ले जाने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में, मयूर विहार की एक जगह तय की गई, जहां उपभोक्ता कथित एन्फोर्समेंट अधिकारियों को पैसे देता। लेकिन जैसे ही, ठगों के प्रमुख जीतेंदर और उदय राज ने उपभोक्ता से पैसे लिए, पहले से इंतजार कर रही बीएसईएस की विजिलेंट टीम ने उन्हें दबोच लिया। ये दोनों मयूर विहार के निवासी हैं।

ठगों के पास से कई जाली कागजात, जाली पहचान पत्र, और जाली अथॉरिटी लेटर (जिनमें इन्हें मीटरों की जांच का अधिकार दिया गया था) बरामद किए गए। उन्हें शकरपुर पुलिस के हवाले दिया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एफआईआर (नंबर 522/07) दर्ज कर ली है। उन पर धोखधड़ी और वसूली के मामले (धारा 420 और 348) लगाए गए हैं। बीएसईएस से इनका कोई संबंध नहीं है।

बीएसईएस के एक अधिकारी ने सलाह दी है कि उपभोक्ता ऐसे ठगों से सावधान रहें और किसी भी हाल में अपने घर पर पैसों का भुगतान न करें। एन्फोर्समेंट से संबंधित सारे भुगतान बीएसईएस के एन्फोर्समेंट ऑफिस में ही लिए जाते हैं। इसलिए किसी के बहकावे में न आएं और किसी के भी द्वारा पैसे मांगे जाने पर पुलिस या बीएसईएस को बताएं। जो भी व्यक्ति आपके घर मीटर चेक करने आता है, उससे पहचान पत्र की मांग करें और शक होने पर तुरंत 39999 888 और 39999 777 पर बीएसईएस से संपर्क करें या फिर पुलिस को सूचित करें।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।